

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12131/2023

प्रताप राम पुत्र हरि राम, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम सिसरवाड़ा, वाया
सोजत रोड, जिला पाली (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर, राजस्थान।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

---प्रतिवादीगण

जुड़ी हुई याचिकाएं

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3144/2023

मनीषा इननिया पुत्री श्री चेना राम, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी गाँव बायड़,
डाकघर गागराना, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय,
जयपुर (राज.)।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर (राज.)।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3241/2023

मुकेश कुमार रॉयल पुत्र रणधीर सिंह, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी गाँव खानसोली,
तहसील और जिला चूरू (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय,
जयपुर, राजस्थान।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3341/2023

सुरेंद्र लोमरोर पुत्र श्री लाखा राम लोमरोर, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी गाँव खाजवाना, तहसील मूंडवा, जिला नागौर (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.) ।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर (राज.)।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3393/2023

मयूर जोशी पुत्र श्री गजानंद जोशी, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी मयूर कॉलोनी, बोरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर (राज.)।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3580/2023

अनिल जाखड़ पुत्र श्री ओम प्रकाश जाखड़, आयु लगभग 24 वर्ष, जाति जाट, निवासी गाँव बारसिंगसर, तहसील और जिला बीकानेर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.)।
 - निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर (राज.)।
-

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3828/2023

पूनाराम पुत्र श्री खेराज राम, आयु लगभग 32 वर्ष, 243, कुम्हारों की ढाणी, पूनासर, तहसील बासनी, जिला जोधपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर (राज.)।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर (राज.)।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4141/2023

ऋषभ गोसाई पुत्र अनिल गोसाई, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी मकान संख्या 18, वार्ड संख्या 4, रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6904/2023

सुशील कुमार पुत्र भूप राम, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी 12 केएसडी ढाणी रसूवाला, 7 आईडीजी, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10345/2023

सांगावास टिल्लू पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी गाँव बराठों का बाड़िया, सांगावास, डाकघर मियाला, जिला राजसमंद।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12611/2023

मनवीर सिंह पुत्र चुन्नी लाल, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी गाँव बेरा जटावा, गाँव बोरनाड़ी, वाया सोजत रोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर,से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15936/2023

सुमन पत्नी श्रीनिवास पुत्री महेन्द्र सिंह, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 06, वीपीओ छानी बारी, भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़।

---प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9307/2024

गीता रानी पत्नी श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 41 वर्ष, वार्ड संख्या 29, संजय कॉलोनी, एयरटेल टावर के पास, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

---प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं की ओर से :

श्री मनोज भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता,
साथ में सुश्री सपना वैष्णव,
श्री हनुमान सिंह चौधरी,
श्री मोती सिंह,
श्री विक्रम सिंह भावला,
श्री श्रवण चौधरी,
श्री सुरेंद्र सिंह चौधरी,
श्री डी.एस. सोढा साथ में
श्री रजत चौधरी,
श्री पूना राम सेन,
श्री इंदरजीत यादव,
श्री मनजीत गोदारा,
श्री धर्मवीर चौधरी।

प्रतिवादीगण की ओर से :

श्री एस.एस. लदरेचा, अतिरिक्त महाधिवक्ता,
साथ में श्री दीपक सुथार, सरकारी अधिवक्ता,
श्री रविंद्र जाला,
श्री एन.के. मेहता, उप सरकारी वकील।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली**आदेश****आदेश आरक्षित किया गया :: 16/10/2024****आदेश सुनाया गया :: 03/02/2025****रिपोर्टेबल****न्यायालय द्वारा:-****शिकायत/प्रार्थना:-**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ये वर्तमान रिट याचिकाएं याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जो प्रतिवादीगण के उस कृत्य से व्यथित हैं जिसके द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2022-23 दिनांक 15.01.2023 के अनुसार सहायक अध्यापक लेवल I और II (अंग्रेजी) के पद हेतु याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया गया है, जिसमें पद के लिए एक अतिरिक्त शर्त जोड़ी गई है कि स्नातक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज से पूर्ण होना चाहिए।

2. इन सभी मामलों में अंतर्निहित मुद्दा समान है, और इसलिए, पक्षकारों की सहमति से, सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की गई है और इस वर्तमान साझा आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। सुविधा के उद्देश्य से, इस आदेश में दर्शाए गए तथ्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12131/2023 के होंगे।

मामले के तथ्य:-

3. विस्तृत विवरण से रहित, वर्तमान रिट याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 कुछ याचिकाकर्ताओं ने हिंदी माध्यम से अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसमें अंग्रेजी एक विषय के रूप में शामिल थी। उनमें से कुछ ने मान्यता प्राप्त संस्थानों से बी.एड. या डी.एल.एड. डिग्री पाठ्यक्रम भी पूरे किए, जहां पाठ्यक्रम में "अंग्रेजी शिक्षण" विषयों में से एक था। इसके बाद, कई याचिकाकर्ताओं ने एम.ए. में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की, और अंकतालिकाओं की प्रतियां रिट याचिका के साथ अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न की गई हैं।

3.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (जिसे इसके बाद "एनसीटीई" कहा गया है), एक शैक्षणिक निकाय ने 23.08.2010 को कक्षा I से VIII तक के लिए नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इसे आगे दो स्तरों में वर्गीकृत किया गया: लेवल I शिक्षक, कक्षा I से V के लिए, और लेवल II शिक्षक, कक्षा VI से VIII के लिए। इसके पश्चात, 29.07.2011 को एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें "बी.ए./बी.एससी." को "स्नातक" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया। एनसीटीई ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (जिसे इसके बाद "टीईटी" कहा गया है) आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए, जिसमें उम्मीदवारों को "भाषा-I" शीर्षक वाले प्रश्नपत्र के तहत शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विशिष्ट भाषा, जैसे हिंदी या अंग्रेजी, का चयन करना आवश्यक है। 23.08.2010 और 29.07.2011 की अधिसूचनाओं की प्रतियां, दिनांक 11.02.2011 के एक आदेश के साथ, रिट याचिका में अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न किए गए हैं।

3.3 प्रतिवादी राज्य सरकार ने एनसीटीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लेवल I और लेवल II के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2022 (जिसे इसके बाद "रीट" कहा जाएगा) आयोजित की। याचिकाकर्ता रीट परीक्षा में सम्मिलित हुए और कुछ लेवल I के लिए, कुछ लेवल II के लिए और कुछ दोनों स्तरों के लिए पात्र पाए गए, जिसके लिए प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा उनकी भर्ती के लिए पात्रता प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

3.4 राजस्थान शिक्षा विभाग (जिसे इसके बाद "प्रतिवादी विभाग" कहा गया है) ने "सहायक अध्यापक लेवल I और सहायक अध्यापक लेवल II संविदा भर्ती 2023" के माध्यम से संविदा आधार पर शिक्षक के पद पर भर्ती हेतु दिनांक 15.01.2023 को एक विज्ञापन जारी किया। इन शिक्षकों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदात्मक भर्ती नियम, 2022 (जिसे इसके बाद "2022 के नियम" कहा गया है) के प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) और अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्त किया जाना था।

3.5 शिक्षा विभाग के सचिव ने 02.11.2022 को एक आदेश जारी कर पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित कीं। लेवल I के लिए, योग्यताओं में अंग्रेजी माध्यम संस्थान से सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) शामिल है। लेवल II के लिए, योग्यताओं में अंग्रेजी माध्यम से स्नातक

(गणित/अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में) में 50% अंक, साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) या प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) शामिल है। आदेश की एक प्रति अनुलग्नक 5 के रूप में संलग्न की गई है।

3.6 याचिकाकर्ताओं ने सहायक अध्यापक लेवल I और II (अंग्रेजी) के पद के लिए आवेदन किया। चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में, प्रतिवादीगण ने दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को बुलाते हुए एक अस्थायी चयन सूची जारी की। सत्यापन के पश्चात, पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को जिले आवंटित किए गए। याचिकाकर्ताओं को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जो प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत आयोजित किया गया।

3.7 दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर, प्रतिवादीगण ने श्रेणी-वार कट-ऑफ अंकों के साथ अंतिम चयन सूची जारी की। हालांकि, कुछ चयनित उम्मीदवारों से अधिक गुणवान होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं थे (अनुलग्नक 7)। जब याचिकाकर्ताओं ने अपने गैर-चयन के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्हें सूचित किया गया कि उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उनके पास अंग्रेजी माध्यम के संस्थान से स्नातक की डिग्री नहीं थी, जिसे पात्रता के लिए एक पूर्व शर्त माना गया था।

3.8 एक समान स्थिति वाले मामले **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4141/2023** में इस न्यायालय ने 02.05.2023 के एक आदेश द्वारा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया कि वे उक्त याचिकाकर्ता को विज्ञापन दिनांक 15.01.2023 के अनुसरण में सहायक अध्यापक लेवल I के पद हेतु अनंतिम रूप से ऑनलाइन/ऑफलाइन फॉर्म जमा करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे। इसके अतिरिक्त, 26.07.2023 के एक आदेश द्वारा, न्यायालय ने प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिया। दिनांक 02.05.2023 और 26.07.2023 के अंतरिम आदेशों की प्रतियां अनुलग्नक 8 के रूप में संलग्न हैं।

3.9 याचिकाकर्तागण यह घोषणा करने की प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 15.01.2023 और आदेश दिनांक 02.11.2022 का खंड 3(1) अवैध, मनमाना, भेदभावपूर्ण और एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचनाओं और

परिपत्रों के विपरीत हैं। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि आक्षेपित विज्ञापन और खंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करते हैं। परिणामस्वरूप, वे मांग करते हैं कि विज्ञापन और खंड को उपर्युक्त सीमा तक रद्द और अपास्त किया जाए।

याचिकाकर्ताओं के तर्क:-

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सहायक अध्यापक लेवल । और ॥ (अंग्रेजी) के पद के लिए याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता पर विचार न करने की प्रतिवादीगण की कार्रवाई अवैध, अन्यायपूर्ण, मनमानी, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान शिक्षा विभाग (जिसे इसके बाद "प्रतिवादी विभाग" कहा गया है) द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 15.01.2023 के अनुसरण में सहायक अध्यापक लेवल । और ॥ (अंग्रेजी) के पद के लिए आवेदन किया था और विधिवत आवेदन पत्र भरे थे।

4.1 तत्पश्चात, याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था और प्रतिवादीगण ने इस प्रक्रिया के लिए छांटे गए अभ्यर्थियों को जिले आवंटित किए। याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादीगण के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया था। उनके पंजीकरण के बाद याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था और उनके दस्तावेजों का प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया था। प्रक्रिया पूरी होने पर, प्रतिवादीगण ने श्रेणी-वार कट-ऑफ अंकों के साथ एक अंतिम चयन सूची जारी की। चयन के लिए पात्र होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं के नाम अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं थे, जबकि याचिकाकर्ताओं से कम योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना गया था।

4.2 याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक योग्य होने के बावजूद, अपने गैर-चयन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादीगण से संपर्क किया। प्रत्युत्तर में, प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की अनिवार्य आवश्यकता के कारण सहायक अध्यापक लेवल । और ॥ (अंग्रेजी) के पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया।

4.3 याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता पद के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं के पास अंग्रेजी साहित्य के साथ कला स्नातक (बी.ए.), कला स्नातकोत्तर (एम.ए.) और अंग्रेजी को शिक्षण विषय के रूप में लेकर शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की डिग्री है। यह तर्क दिया जाता है कि एनसीटीई के नियम पात्रता के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक को अनिवार्य नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता यह रेखांकित करते हैं कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताएं संवैधानिक अधिदेशों के आधार पर प्रतिवादीगण पर बाध्यकारी हैं और राज्य इन मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य है।

4.4 एनसीटीई ने अपने परिपत्र दिनांक 11.02.2011 के साथ संलग्न दिशानिर्देशों के माध्यम से विशेष रूप से उल्लेख किया है कि भाषा-। शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तदनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ने याचिकाकर्ताओं को लेवल I, लेवल II और दोनों स्तरों के लिए पात्र घोषित किया है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं को जारी रीट प्रमाण पत्रों से स्पष्ट है।

4.5 तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **राजेंद्र सिंह चोटिया और अन्य बनाम एनसीटीई और अन्य (डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1853/2021)** में दिए गए आदेश दिनांक 25.11.2021 पर आश्रय करते हैं। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा आयोजित पिछली भर्ती प्रक्रियाओं में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक डिग्री और बी.एड. डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को लेवल-II (अंग्रेजी) पदों के लिए पात्र माना गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सामान्य विद्यालयों में और विस्तारतः, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पात्र हैं, जहां विषय का पाठ्यक्रम समान रहता है। इसलिए, उनकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार करना कारण और तर्क से रहित है।

4.6 इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि प्रतिवादीगण की कार्रवाई विबंध के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। एक ओर, बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्तियों के तहत अंग्रेजी माध्यम में छात्रों को पढ़ाने के लिए अधिकृत करते हुए प्रमाण पत्र जारी किए हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादीगण ने विज्ञापन दिनांक

15.01.2023 के खंड 10.2 के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराया है, जो कथित तौर पर 2022 के नियम के अनुसरण में प्रतिवादी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.11.2022 के खंड 3 के उप-खंड 1 से लिया गया है। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादीगण 2022 के नियम की आड़ में अतिरिक्त पात्रता मानदंड नहीं थोप सकते हैं, खासकर जब प्रारंभिक शिक्षा का विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उपरोक्त तर्कों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय से उचित राहत प्रदान करने हेतु प्रार्थना करते की।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब:-

5. प्रतिवादीगण द्वारा रिट याचिका का जवाब दायर किया गया है, जिसमें याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया है। प्रतिवादी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का पुरजोर विरोध किया है। यह निवेदन किया गया है कि 2022 के नियम प्रतिवादीगण को भर्ती प्रक्रिया के तहत अधिसूचित पदों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करने की क्षमता और क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं।

5.1 प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया एकमात्र बहाना यह है कि अन्य भर्ती अधिसूचनाओं के लिए उनकी पात्रता उन्हें वर्तमान भर्ती के लिए भी विचार किए जाने का अधिकार देती है। हालांकि, इस पर जोर दिया गया है कि विचाराधीन भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में सहायक अध्यापक लेवल-I और लेवल-II के पदों के लिए संविदात्मक नियुक्तियों से संबंधित है, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित अन्य भर्तियां हिंदी माध्यम के विद्यालयों से संबंधित हैं। परिणामस्वरूप, दोनों भर्ती प्रक्रियाओं के लिए पात्रता मानदंड को समान नहीं माना जा सकता है।

5.2 यह आगे तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास 2022 के नियमों के तहत निर्धारित वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक की अपेक्षित योग्यता नहीं है। इसलिए, यह वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है। उपरोक्त के आलोक में, यह प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका को गुणदोष के अभाव में खारिज कर दिया जाए।

अवलोकन:-

6. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है। तर्कों और याचिका में उपलब्ध सामग्री पर गहन विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की जाती हैं।

7. निर्विवाद रूप से, कुछ याचिकाकर्ताओं ने हिंदी माध्यम में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की और हिंदी माध्यम में अपना स्नातक, बी.एड./डी.एल.एड., डिप्लोमा और एम.ए. किया। याचिकाकर्ताओं ने सहायक अध्यापक लेवल। और ॥ (अंग्रेजी) विषय के पद के लिए आवेदन किया और उनकी उम्मीदवारी को प्रतिवादी विभाग द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में अपना स्नातक पूरा नहीं किया था। मामले के तथ्यों की जाँच करने पर, यह न्यायालय पाता है कि प्रतिवादी विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में उल्लिखित शर्त कानूनन न्यायसंगत नहीं है। उक्त शर्त उन हजारों उम्मीदवारों को बाहर करती है जो अन्यथा कानून के तहत योग्य हैं, लेकिन विज्ञापन दिनांक 15.01.2023 में निर्धारित शर्त के कारण ही अयोग्य ठहराए गए हैं।

8. विज्ञापन में निर्दिष्ट अंग्रेजी माध्यम में स्नातक पूरा करने की आवश्यकता न तो एनसीटीई के नियमों/दिशानिर्देशों में उल्लिखित है और न ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1966 (जिसे इसके बाद "1966 के नियम" कहा गया है) के तहत निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) शिक्षक पात्रता के लिए स्नातक के माध्यम के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं थोपता है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी उच्च माध्यमिक, स्नातक, डिप्लोमा और बी.एड./डी.एल.एड. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पूरे किए हैं और रीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो उन्हें शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी दिनांक 02.11.2022 के आदेश और उक्त आदेश के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा जारी दिनांक 15.01.2023 के विज्ञापन में निर्दिष्ट शर्त को छोड़कर, पद के लिए पात्र बनाती है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि नियमित भर्ती में उसी पद के लिए अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की कोई आवश्यकता मौजूद

नहीं है। इस न्यायालय का मानना है कि 2022 के नियमों के तहत ऐसी शर्त लगाना मनमाना और भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।

9. तथ्यात्मक स्थिति की बेहतर समझ के लिए 2022 के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ अधिसूचना दिनांक 02.11.2022 और विज्ञापन दिनांक 15.01.2023 के प्रासंगिक हिस्सों को पुनः प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2022 के नियमों का नियम 7 नियुक्ति के लिए योग्यता और पात्रता मानदंड निर्धारित करता है, और यह प्रावधान करता है कि इन्हें प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

7. नियुक्ति के लिए योग्यता और पात्रता मानदंड- इन नियमों के तहत सृजित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कर्तव्य, जिम्मेदारियां **प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से तय की जाएंगी।**

नियमों के नियम 7 के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होता है कि नियुक्ति के लिए योग्यता और पात्रता मानदंड प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से तय किए जाएंगे। इस न्यायालय ने श्री एस.एस. लदरेचा, एएजी से कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से लिए गए किसी भी विचार-विमर्श या अनुमोदन के संबंध में प्रश्न किया, जिस पर उन्होंने इस न्यायालय को एक दस्तावेज दिखाया जो विभाग की एक नोट शीट है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नोट शीट में दिए गए विवरण के अनुसार वित्त विभाग से मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव है, इसलिए, फाइल को वित्त विभाग को भेजने के संबंध में समीक्षा, अनुमोदन और आदेशों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह न्यायालय मानता है कि वित्त विभाग के साथ किसी भी उचित विचार-विमर्श से पहले, शिक्षा (समूह 1) विभाग के सचिव द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के रूप में लगाई गई शर्त कानूनन कोई बल नहीं रखती है क्योंकि यह शर्त कानून और प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं है और इसलिए मेरे विचार में यह मनमानी, अवैध, कानून के विपरीत और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

10. आगे बढ़ते हुए शिक्षा (समूह-1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पारित अधिसूचना दिनांक 02.11.2022 की ओर, जिसमें शैक्षणिक योग्यता में अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता के संबंध में शर्त का उल्लेख किया गया है।

3. नियुक्ति की पदवार योग्यता एवं प्रक्रिया

महात्मा गांधी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की Rajasthan Contractual Hiring To Civil Posts Rules, 2022 के तहत भर्ती एवं सेवा संबंधी शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. सेवा में सम्मिलित पद, उनकी वांछित न्यूनतम योग्यता एवं नियुक्ति अधिकारी का विवरण:-

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 की अनुसूची-II में "अध्यापक विंग" एवं पंचायती राज नियम- 1996 में सम्मिलित पद, जो महात्मा गांधी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा-01 से 10 तक के संचालन हेतु संवर्गित हैं, के लिए शैक्षिक व प्रशैक्षणिक अर्हताएं तथा पद के लिए नियुक्ति अधिकारी निम्नानुसार होगा:

क्रम	पदनाम	शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक अर्हता	नियुक्ति अधिकारी
01	सहायक अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (अंग्रेजी/गणित)	शैक्षिक अर्हता:- न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित/अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक प्रशैक्षिक अर्हता: बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)/डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) + न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल-द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।	जि.शि.अ (मु.) – माशि (संबंधित जिला)
02	सहायक अध्यापक (लेवल-प्रथम)	शैक्षिक अर्हता: 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण प्रशैक्षिक अर्हता: डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) + न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल-प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।	जि.शि.अ (मु.) – माशि(संबंधित जिला)

II- Rajasthan Contractual Hiring To Civil Posts Rules, 2022 के प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए इन पदों को भरा जाए।

III - विभाग की आवश्यकतानुसार इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, आस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाए गए कार्मिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

11. आगे बढ़ते हुए विज्ञापन दिनांक 15.01.2023 की ओर, जिसमें दिनांक 02.11.2022 की अधिसूचना में निर्धारित वही शर्त विज्ञापित पद के लिए योग्यता के

संबंध में उल्लेखित की गई है, जो स्नातक में अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता के संबंध में है।

10- सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती, 2022 के अंतर्गत सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी-गणित) के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं:

10.1 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम हेतु शैक्षिक/प्रशैक्षिक/रीट अर्हताएं:-

(A) शैक्षिक अर्हता:-

न्यूनतम 50 अंकों सहित उच्च माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा **अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण।**

(B) प्रशैक्षिक अर्हता:- डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) उत्तीर्ण।

(C) रीट अर्हता:-

न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (लेवल-प्रथम) 2021/2022 उत्तीर्ण।

10.2 सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) हेतु शैक्षिक/प्रशैक्षिक/रीट अर्हताएं:

(A) शैक्षिक अर्हता:-

न्यूनतम 50 अंकों सहित गणित/अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ **अंग्रेजी माध्यम में स्नातक।**

(B) प्रशैक्षिक अर्हता: बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)/डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.)।

(C) रीट अर्हता:-

न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (लेवल-द्वितीय) 2022 संबंधित विषय सहित उत्तीर्ण।

10.3 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं लेवल-द्वितीय के पदों हेतु प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी.एल.एड.) अथवा शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) सामान्य शिक्षा में (जो भी लागू हो) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)- द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/बी.एड. पाठ्यक्रम मान्य होगा।

10.4 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी-गणित) के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।

10.5 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।

2022 के नियमों के प्रावधानों, अधिसूचना और विज्ञापन की समीक्षा करने पर यह न्यायालय यह अवलोकन करता है कि प्रश्नगत अतिरिक्त शर्त राज्य द्वारा केवल शिक्षा (समूह-1) विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव/शर्त के आधार

पर जोड़ी गई है, जिसके तहत उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी माध्यम में स्नातक पूरा करना आवश्यक है। यह शर्त भर्ती प्रक्रिया में बिना किसी सांविधिक आधार के थोपी गई है। स्नातक के लिए अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य आवश्यकता बनाने वाला कोई प्रावधान, नियम या विनियम नहीं है, और ऐसी शर्त, इसलिए, कानून की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। आगे स्पष्टीकरण के लिए, इस निर्णय में सभी प्रासंगिक प्रावधानों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

12. इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 23 का भी परीक्षण किया है, जो विद्यालय शिक्षकों के लिए योग्यताएं और सेवा के नियम व शर्तें निर्धारित करती है। त्वरित संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 23 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

23. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ और सेवा के नियम व शर्तें.- (1) कोई भी व्यक्ति ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ रखता हो, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिकृत एक शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, वह एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहां किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं हैं, या उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं में ऐसी अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि एक शिक्षक जो इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ नहीं रखता है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ प्राप्त करेगा।

[बशर्ते आगे कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक, जो उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ नहीं रखता है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 (24 का 2017) के प्रारंभ की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ प्राप्त करेगा।]

(3) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा के नियम व शर्तें, ऐसे होंगे जैसे कि निर्धारित किए जाएं।

अधिनियम की धारा 23 के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार शिक्षकों के लिए योग्यताएँ निर्धारित करता है। अपने अधिदेश के अनुसरण में, एनसीटीई ने अधिनियम के तहत एक स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित करते हुए 23.08.2010 को एक अधिसूचना (29.07.2011 को संशोधित) जारी की। महत्वपूर्ण रूप से,

अधिनियम की धारा 23 यह अनिवार्य नहीं करती है कि शिक्षकों की योग्यता शिक्षा के माध्यम, चाहे अंग्रेजी या हिंदी, के लिए विशिष्ट होनी चाहिए।

13. इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय एनसीटीई के दिशानिर्देशों का परीक्षण करना उचित समझता है, जो शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं प्रदान करते हैं। त्वरित संदर्भ के लिए, 29.07.2011 की संशोधित अधिसूचना का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

I. न्यूनतम योग्यताएं:

कक्षाएं-I -V

(a) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में 2-वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और एन.सी.टी.ई. (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2-वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और 4-वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और 2-वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।

अथवा

स्नातक और प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाता हो)

और

(b) उपयुक्त सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए एनसीटीई द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण।

(ii) कक्षाएं VI—VIII

(a) स्नातक और प्राथमिक शिक्षा में 2-वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा में 1-वर्षीय बैचलर (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और 1-वर्षीय शिक्षा स्नातक (B.Ed.), जो इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियमों के अनुसार हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और 4-वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (B.El.Ed.)।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और 4-वर्षीय बीए./बी.एससी.एड. या बीए.एड./बी.एससी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1-वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

और

(a) उपयुक्त सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए एन.सी.टी.ई. द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण।

एनसीटीई की अधिसूचना के अवलोकन से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें शिक्षकों के किसी भी वर्ग के लिए स्नातक को अंग्रेजी माध्यम में करने की शर्त लगाने वाला कोई खंड नहीं है जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है। अधिसूचना में निर्देशशिक्षा के माध्यम के संबंध में किसी भी आवश्यकता का उल्लेख नहीं है या यह निर्धारित नहीं किया गया है कि एक उम्मीदवार को अपना स्नातक अंग्रेजी माध्यम में पूरा करना चाहिए। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता, जो शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं पूरी करते हैं, पद के लिए पात्र हैं।

14. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1966 के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रदान किए गए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों पर आगे बढ़ते हुए, इन योग्यताओं को दो स्तरों में वर्गीकृत किया गया है: सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा। त्वरित संदर्भ के लिए, 1966 के नियमों के नियम 266 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

266. शैक्षणिक योग्यता। एक अभ्यर्थी के पास निम्नानुसार न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए: -

(3) [प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा)] [अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 61, दिनांक 29.8.2017 द्वारा प्रतिस्थापित (30.12.1996 से प्रभावी)] (A) सामान्य शिक्षा स्तर-(i) कक्षा I से V स्तर-(ii) कक्षा VI से VIII (B) विशेष शिक्षा स्तर-(i) स्तर-(ii) कक्षा VI से VIII	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यताएँ, और रीट/आरटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यताएं। और (i) सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी ने स्नातक या समकक्ष परीक्षा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र में से कम से कम एक विषय के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण की होनी चाहिए। (ii) गणित के शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी को गणित को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर
---	--

	स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (iii) विज्ञान के शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (iv) भाषा के शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी को संबंधित भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (v) जिस अभ्यर्थी ने प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) या बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. किया है, यानी चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की योग्यता रखने वाला अभ्यर्थी, उसे भी संबंधित विषय के साथ अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; और (vi) आवेदन किए गए विषय में रीट/आरटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा I से V के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यताएँ, और रीट/आरटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यताएँ। और (i) सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र में से कम से कम एक विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (ii) गणित के शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी को गणित को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;
--	--

	(iii) विज्ञान के शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (iv) भाषा के शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी को संबंधित भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (v) वह अभ्यर्थी जिसने प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (B.El.Ed.) या B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. किया है अर्थात चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, उसने अर्हक परीक्षा संबंधित विषय के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए; और (vi) आवेदन किए गए विषय में रीट/आरटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए।]
--	---

[बशर्ते कि: वह व्यक्ति जो बी.एड./बी.एस.टी.सी./डी.एस.ई./बी.एड. (विशेष शिक्षा) परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है, वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा) के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन उक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण [जिला स्थापना समिति] [राजस्थान पंचायती राज (छठा संशोधन) नियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया: राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग IV-C (I) दिनांक 1.12.2006] के समक्ष प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।]

1966 के नियमों के नियम 266 में विद्यालय शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान है। हालांकि, यह ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं करता है जो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाती हो या अंग्रेजी माध्यम में स्नातक पूरा करने की आवश्यकता रखती हो। नियम 266 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि स्नातक में अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता किसी भी कानून, विनियमन, या एनसीटीई दिशानिर्देशों द्वारा अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, नियम 266 का खंड (3)(iv) यह निर्दिष्ट करता है कि भाषा के शिक्षकों के लिए, उम्मीदवार को संबंधित भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्तमान मामले में, कुछ याचिकाकर्ताओं ने अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर अपना डिप्लोमा या स्नातकोत्तर पूरा किया है, जिससे वे विज्ञापित पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए और **एआईआर 2017 एससी 3612** में रिपोर्ट किए गए **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शिव कुमार पाठक और अन्य** के मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताएं बाध्यकारी हैं, और टीईटी अंकों के भारांक की आवश्यकता एक अनिवार्य

मानदंड नहीं है। त्वरित संदर्भ के लिए, निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि जबकि आरटीई अधिनियम की धारा 23 के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता योग्यता निर्धारित करना केंद्र सरकार के लिए अनुमेय था, एनसीटीई कोई भी ऐसा दिशानिर्देश निर्धारित नहीं कर सकती थी जिससे आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत योग्यताओं के अनुरूप एक शिक्षक के चयन के लिए मानदंडों को निर्धारित करने की राज्य की शक्ति प्रभावित हो।

13. दूसरी ओर, मूल रिट याचिकाकर्ताओं का रुख यह है कि शिक्षा का विषय 42 वें संशोधन के बाद संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर, संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर प्रभावी होता है। यह प्रस्तुत किया गया कि एनसीटीई अधिनियम को संसद द्वारा 'शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास' को प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के तहत गठित परिषद को शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए धारा 12 और 12 ए के तहत दिशानिर्देश जारी करने और एक व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियोजित होने के लिए न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए भी सशक्त किया गया है। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना के माध्यम से, केंद्र सरकार ने एनसीटीई को एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए 'शैक्षणिक प्राधिकरण' के रूप में अधिकृत किया है।

14. एनसीटीई के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि टीईटी अंकों के भारांक का सुझाव देने वाली दिनांक 11 फरवरी, 2011 की अधिसूचना केवल एक दिशानिर्देश थी और इसे राज्यों पर बाध्यकारी बनाने का इरादा नहीं था। जबकि टीईटी एक अनिवार्य आवश्यकता थी, टीईटी में अंकों का भारांक केवल एक सुझाव था। यह रुख जुड़े हुए मामलों में कुछ विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भी लिया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी 346 ऑफ 2013 में दिनांक 1 मई, 2014 के अपने हलफनामे में एनसीटीई के रुख पर आश्रय किया गया था, जो इस प्रकार है:

"कि समिति की उक्त सिफारिशों के मद्देनजर, यह कहा जाता है कि एनसीटीई दिशानिर्देश दिनांक 11 फरवरी, 2011 के खंड 10 और 11 में निहित दिशानिर्देश प्रकृति में निर्देशात्मक हैं। उपयुक्त सरकार अपने विवेक से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर पात्र उम्मीदवारों के संबंध में निर्णय ले सकती है। हालांकि, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, उपयुक्त विधान/विनियम/नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के उपयुक्त विधानमंडल के पास है और इस तरह राज्य सरकार उक्त पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने के रूप में पात्रता की योग्यता निर्धारित करने के अपने अधिकारों के भीतर है। इसमें कोई वैधता नहीं होगी और केवल इसलिए कि एक राज्य सरकार किसी दिए गए वर्ष में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) आयोजित करने में विफल रही है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि परीक्षा आयोजित न करने और केंद्रीय शिक्षक

पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को योग्य मानने का निर्णय लिया गया है।"

15. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत एक प्रश्न के उत्तर में एनसीटीई द्वारा दिनांक 2 सितंबर, 2016 के स्पष्टीकरण पर भी आश्रय किया गया था (एसएलपी पेपर बुक में एसएलपी (सिविल) संख्या 1121/2017 के पृष्ठ संख्या 733 पर) जो इस प्रकार है:

"1. सीटीईटी/टीईटी कक्षा I से VIII तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए एक अर्हकारी परीक्षा है।

2. टीईटी अंकों के आधार पर उम्मीदवार को शिक्षक के रूप में चुनने के लिए राज्य/केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है। टीईटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल पात्रता है।"

16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनसीटीई, आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत 'शैक्षणिक प्राधिकरण' के रूप में कार्य करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना के साथ-साथ एनसीटीई अधिनियम की धारा 12 और 12 ए के तहत, दिनांक 23 अगस्त, 2010 और 11 फरवरी, 2011 की अधिसूचनाएं जारी करने के लिए सक्षम थी। राज्य सरकार उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्य करने और किसी भी विपरीत नियम को प्रभावी न करने के लिए बाध्य थी। हालांकि, चूंकि एनसीटीई ने स्वयं यह रुख अपनाया है कि टीईटी में प्राप्त अंकों को दिए जाने वाले भारांक के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2011 की अधिसूचना अनिवार्य नहीं है, जो कि एक संभावित व्याख्या भी है, इसलिए 1981 के नियमों में 15 वें संशोधन को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करना होगा। तदनुसार, जबकि हम इस दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताएं बाध्यकारी हैं, टीईटी अंकों के भारांक की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

17. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, सामान्य परिस्थितियों में राज्य 15 वें संशोधन द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार दिनांक 7 दिसंबर, 2012 के विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होता, लेकिन इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान हुई गतिविधियों को देखते हुए, उक्त विज्ञापन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और उक्त विज्ञापन को बरकरार रखते हुए, इस बीच हुई गतिविधियों के आलोक में राहत को परिवर्तित करना होगा।

18. दिनांक 25 मार्च, 2014 के अंतरिम आदेश द्वारा इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को आक्षेपित निर्णय के अनुसार सहायक अध्यापकों की रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात, 17 दिसंबर 2014 को उक्त आदेश को संशोधित किया गया और राज्य को उन उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया जिनके नाम टीईटी परीक्षा में कदाचार में शामिल नहीं थे और जिन्होंने 70% अंक (एससी, एसटी, ओबीसी और शारीरिक रूप से विकलांग या आरक्षण के लिए सरकारी नीति द्वारा कवर की गई किसी अन्य श्रेणी के लिए 65% अंक) प्राप्त किए थे। इस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 54,464 पद पहले ही भरे जा चुके हैं। उक्त नियुक्तियां इन मामलों के परिणाम के अधीन थीं। यह भी देखा गया था कि यदि टीईटी योग्यता के बिना किसी को नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। दिनांक 2 नवंबर, 2015 के आदेश द्वारा यह नोट किया गया था कि विज्ञापित 72,825 पदों के मुकाबले, 43,077 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और कार्यरत थे जबकि 15,058 उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। लगभग 14,690 पद रिक्त थे। यह आगे देखा गया था कि जिन उम्मीदवारों के पास दिनांक 27 जुलाई 2015 के आदेश के संदर्भ में अंकों का आवश्यक प्रतिशत था, उन्हें अपने आवेदन दाखिल करने थे और उक्त उद्देश्य के लिए गठित एक समिति ऐसे प्रतिशत को सत्यापित कर सकती थी और यदि समानता पाई जाती है तो वही लाभ उन्हें भी दिया जा सकता था।

19. हमें सूचित किया गया है कि इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसरण में पहले ही 66,655 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, हम इसे अव्यवस्थित करने के इच्छुक नहीं हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य को एक नया विज्ञापन जारी करने के बाद कानून के अनुसार शेष रिक्तियों को भरने की स्वतंत्रता है।

20. मामले उपरोक्त शर्तों के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

16. मामले के तथ्यों से यह निकलकर आता है कि राज्य केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, एनसीटीई दिशानिर्देशों और पंचायती राज कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है। गौरतलब है कि इनमें से किसी भी दिशानिर्देश में विचाराधीन अधिसूचना में लगाई गई शर्त का उल्लेख नहीं है।

17. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** के मामले में **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16367/2021 दिनांक 04.01.2022** में एक समान मुद्दे पर विचार किया है, जिसके तहत इस न्यायालय ने परीक्षण किया कि क्या रूपांतरण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 ए के तहत मौलिक अधिकारों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इस न्यायालय ने राज्य के निर्णय को मनमाना और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत पाया, जिसमें स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी की सहमति की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। न्यायालय ने वर्तमान सत्र के लिए रूपांतरण के निर्णय को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि भविष्य के किसी भी रूपांतरण के लिए समिति से बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। त्वरित संदर्भ के लिए, आदेश के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

"52. (iv).....

ए से एफ.

(जी) यदि राज्य का विवादित प्रशासनिक निर्णय एसडीएमसी की इच्छाओं और सहमति के बिना बरकरार रखा जाता है, तो स्कूल को अचानक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में स्कूल की शिक्षा के माध्यम को उस तरीके से नहीं बदला जा सकता है जिस तरह से वर्तमान मामले में राज्य द्वारा किया गया है।

(एच) एक स्कूल के शिक्षा का माध्यम बदलना जिसमें 601 ग्रामीण छात्र हैं, जिनमें से 303 लड़कियां हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों सहित निचले तबके से आता है, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पास के स्कूलों में समायोजित किए जाने के आश्वासन के बदले एक कलम के झटके से 601 छात्रों को बाहर निकालना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे उनके भावनात्मक स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्योंकि, बच्चों के लिए, उनका स्कूल केवल पथरों, सीमेंट

और कंक्रीट से बनी संरचना नहीं है - यह एक दूसरा घर या एक मंदिर जैसा है, जहां वे सीखने, खेलने और बढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। साथ रहने से उत्पन्न उनका बंधन उन्हें एक समाज और एक समुदाय के रूप में विकसित होने में मदद करता है।

(आई) इस न्यायालय की राय में, राज्य को स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी की पवित्रता को कम नहीं करना चाहिए या उसकी शक्तियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जो अधिनियम 2009 की धारा 21 और नियम, 2011 के नियम 3 की एक सांविधिक रचना है। केवल इसलिए कि राज्य ने अधिक अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की मांग के मद्देनजर यह रुख अपनाया है कि 5000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए, एसडीएमसी की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रश्नगत स्कूल के लिए एसडीएमसी की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह राज्य द्वारा स्थापित, वित्त पोषित, अनुरक्षित और नियंत्रित है।

(जे) उपरोक्त के बावजूद, चूंकि प्रश्नगत स्कूल के एसडीएमसी ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की स्थापना पर ही आपत्ति नहीं की है, और उसका पक्ष यह रहा है कि वर्तमान हिंदी माध्यम के स्कूल को जारी रखा जाना चाहिए, भले ही उसे समझाया गया हो, यह न्यायालय यह मानने के लिए इच्छुक नहीं है कि प्रश्नगत भवन में कोई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल कार्य नहीं करेगा।

(के) स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रूपांतरित करने का राज्य का दिनांक 20.09.2021 का निर्णय, इस न्यायालय के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि ऐसा निर्णय किसी शोध, अध्ययन या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं है और क्योंकि यह धारा 29 (1) और 2(एफ) के विपरीत है और राज्य की शक्तियों से परे है।

(एल) आक्षेपित निर्णय शैक्षणिक प्राधिकरण की शक्तियों और एसडीएमसी के प्रस्ताव की अवहेलना नहीं तो अनदेखी में है, जिसमें साफ तौर पर यह तय किया गया है कि मौजूदा हिंदी माध्यम स्कूल को बंद नहीं किया जाए और यदि आवश्यक हो, तो हिंदी माध्यम के मौजूदा छात्रों को परेशान किए बिना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के कार्य करने में दूसरी पाली में स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जाए।

(एम) प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की है जिससे यह पता चले कि किसी अन्य भवन में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल स्थापित करने या एक नया भवन निर्माण करने या किसी परित्यक्त भवन का उपयोग करने की व्यवहार्यता या अन्यथा के बारे में पक्ष-विपक्ष का अध्ययन किया गया था। ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है जो यह दर्शाती हो कि आखिर इसी विशिष्ट स्कूल को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में परिवर्तित करने के लिए क्यों चुना गया है, जबकि यह स्कूल 5000 की आबादी वाले एक छोटे से कस्बे में बड़ी संख्या में छात्रों (लगभग 600) की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

(एन) इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि एक ही झटके में वर्तमान 344 स्कूलों में से इस स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में रूपांतरित करने का राज्य सरकार का निर्णय मनमाना है और अधिनियम, 2009 और नियम, 2011 के प्रावधानों के विपरीत है।

(ओ) राज्य ने जो बचाव लिया है कि इस स्कूल के बच्चों को पास के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, उसे वर्तमान स्कूल से 601 पौधों (छात्रों) को उखाड़ने और पास के स्कूलों में प्रत्यारोपित करने के लिए एक वैध औचित्य के रूप में

स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही वे 2 किलोमीटर के दायरे में हों। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के मध्य में ऐसी कार्रवाई किसी भी मामले में नहीं की जा सकती है। राज्य का दिनांक 13.09.2021 और 20.09.2021 का निर्णय मनमाना है और रद्द किए जाने योग्य है, हालांकि, ऐसा न्यायनिर्णयन केवल वर्तमान स्कूल तक ही सीमित है, जिसका कारण पहले ही बताया जा चुका है।

(v).....

53. अगला प्रश्न उठता है कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? 2009 के अधिनियम की धारा 29(2)(एफ) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा या निर्देश का माध्यम मातृभाषा में होगा। इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसे कम से कम दिनांक 13.09.2021 या 20.09.2021 को लिए गए जैसे प्रशासनिक निर्णय द्वारा अंग्रेजी माध्यम में नहीं बदला जा सकता है। यदि ऐसा किया जाना है, तो यह राज्य विधानमंडल द्वारा लाए जाने वाले उपयुक्त विधान द्वारा किया जा सकता है, न कि शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा भी। इसलिए, प्रश्नगत स्कूल का अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण स्पष्ट रूप से आरटीई अधिनियम की धारा 21, 22, 29(1) और 29(2)(एफ) के प्रावधानों के विपरीत है।

54. अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ के एक हालिया निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसे **डॉ. श्रीनिवास गुंटुपल्ली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**; रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 183/2019 के मामले में दिनांक 15.04.2020 को दिया गया था। इसमें सटीक मामला यह था कि दिनांक 20.11.2019 की एक सरकारी अधिसूचना द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ग्रेड - I से VIII तक और शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए ग्रेड - IX और X के सभी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में रूपांतरित किए जाएंगे। जब उक्त निर्णय न्यायिक जांच के दायरे में आया, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह माना गया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए और 19(1)(जी) का उल्लंघन है, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29(2) और आंध्र प्रदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 1982 की धारा 7(3) और 7(4) के प्रावधानों के विपरीत है।

55. माननीय मुख्य न्यायाधीश (जैसा कि वह तब थे) की अध्यक्षता वाली आंध्र प्रदेश की खंडपीठ ने इस प्रकार माना है:

"92. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-पश्चात के इतिहास को देखते हुए और राज्य पुनर्गठन आयोग, 1955 की रिपोर्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम, 1968 और विभिन्न अन्य रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है कि स्कूलों में शिक्षा का माध्यम, विशेष रूप से मानक I से VIII तक, मातृभाषा में होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 और अन्य रिपोर्टों के प्रभाव को राज्य सरकार द्वारा जी.ओ. जारी करके, आरटीई अधिनियम की भावना और संविधान के प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विपरीत कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सरकार का शिक्षा के माध्यम को तेलुगु से अंग्रेजी माध्यम में बदलने का निर्णय, चाहे वह कक्षा I से VI तक हो या कक्षा I से VIII तक, जैसा भी मामला हो, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 और विभिन्न अन्य रिपोर्टों के विरुद्ध है, इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए, आक्षेपित जी.ओ. को रद्द किया जाना चाहिए। 93. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में जिस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है वह यह है कि जी.ओ.एम.एस. संख्या 85, दिनांक 20.11.2019, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की भावना के विरुद्ध है और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रतिकूल है और इसकी सहमति के बिना, यह राज्य सरकार को उक्त जी.ओ.

जारी करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। 94. परिणामस्वरूप, डब्ल्यू.पी. (पीआईएलएस) को स्वीकार किया जाता है और स्कूल शिक्षा (प्रोग.-I) विभाग के जी.ओ.एम.एस. संख्या 81 दिनांक 05.11.2019 और जी.ओ.एम.एस. संख्या 85 दिनांक 20.11.2019 को निरस्त किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षों को अपना स्वयं का खर्च वहन करने का निर्देश दिया जाता है। एक अनुक्रम के रूप में, सभी लंबित विविध आवेदन निपटाए जाते हैं।"

निष्कर्ष:

56. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी में बदलना या अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करना अपने-आप में बच्चों या उनके माता-पिता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। क्योंकि अनुच्छेद 21 ए केवल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जबकि इसकी प्रक्रिया या रीति को कानून द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए राज्य के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है।

57. लेकिन, साथ ही यह भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि किसी विशेष माध्यम में या उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जिसमें बच्चे का पालन-पोषण हुआ है, किसी भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

58. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) मौलिक अधिकारों का स्रोत है, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भंडार है, जहाँ से ऐसा अधिकार प्रवाहित होता है। अनुच्छेद 19(1)(ए) का दायरा व्यापक है और इसमें किसी विशेष माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

59. मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी 2009 के अधिनियम की धारा 29(2)(एफ) द्वारा प्रदत्त एक सांविधिक अधिकार है, जिसके अनुसार शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक व्यावहारिक हो, बच्चे की मातृभाषा में होना आवश्यक है।

60. शिक्षा के विषय में कानून बनाने की शक्ति समवर्ती सूची (सूची 3) की प्रविष्टि संख्या 25 के अंतर्गत आती है। और चूंकि अधिनियम, 2009 उस क्षेत्र पर अधिकार रखता है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक व्यावहारिक हो, बच्चे की मातृभाषा/घर की भाषा में होगा, राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य द्वारा बनाया गया या तैयार किया गया कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर प्रतिकूल होगा।

61. इस न्यायालय की राय में, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विधान द्वारा भी बच्चे पर थोपा नहीं जा सकता है, प्रशासनिक निर्णय द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं।

62. चाहे जो भी हो। चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 – एसडीएमसी, जिसके याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 सदस्य हैं, ने स्वयं अंग्रेजी माध्यम का स्कूल रखने का निर्णय लिया है, इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ताओं के कहने पर राज्य के आक्षेपित निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि राज्य का निर्णय या उसकी नीति स्वयं चुनौती के दायरे में नहीं है।

63. धारा 29(2)(एफ) के अधिदेश के अनुरूप, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति, 2020 तैयार की है, जिसके खंड 4.9 के अनुसार, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा में होना आवश्यक है।

64. याचिकाकर्ताओं और स्कूल के विद्यार्थियों के हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं और ऐसे अधिकार केवल अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित आकस्मिकताओं में अधिनियमित विधान द्वारा कम किए जा सकते हैं। राजस्थान राज्य द्वारा लाए गए किसी भी वैध विधान के अभाव में, इस न्यायालय का विचार है कि ऐसे अधिकार को समाप्त या छीना नहीं जा सकता है। 65. दिनांक 20.09.2021 का आक्षेपित निर्णय, जो प्रश्नगत

स्कूल को तत्काल प्रभाव से (सत्र 2021-22) हिंदी माध्यम स्कूल में बदलने की मांग करता है, अनुच्छेद 19(1)(ए) और 14 का उल्लंघन है। उक्त को श्री हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संबंध में एतद्वारा रद्द किया जाता है।

66. अब, याचिकाकर्ताओं और स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले अन्य बच्चों के सांविधिक अधिकारों की ओर बढ़ते हैं।

67. निर्विवाद रूप से, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन 2009 के अधिनियम की धारा 21 और 2011 के नियमों के नियम 3 के प्रावधानों के तहत किया गया है। 2009 के अधिनियम की धारा 21(2) और 22 समिति को स्कूल के कामकाज की निगरानी करने और स्कूल विकास योजना तैयार करने/सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपती है। इस न्यायालय की राय में, अंग्रेजी को शिक्षा के तरीके या माध्यम के रूप में थोपने का राज्य का प्रशासनिक निर्णय और कार्रवाई 2009 के अधिनियम की धारा 21 और 22 का उल्लंघन है, खासकर एसडीएमसी द्वारा अपनाए गए दिनांक 03.04.2021 और 28.09.2021 के प्रस्तावों के आलोक में।

68. हालांकि इस न्यायालय का विचार है कि राज्य का दिनांक 20.09.2021 का निर्णय (शैक्षणिक प्राधिकरण के निर्णय के अभाव में) शिक्षा नीति, 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29(1) और 29(2)(एफ) और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत है, लेकिन चूंकि नीतिगत निर्णय स्वयं चुनौती के दायरे में नहीं है और याचिकाकर्ताओं ने स्वयं सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की स्थापना का स्वागत या स्वीकार किया था, इसलिए एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि यदि आगामी सत्र अर्थात् 2022-23 के लिए राज्य प्रश्नगत स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रूपांतरित करने की इच्छा रखता है या प्रस्ताव करता है, तो वह 2011 के नियमों के नियम 3 के तहत गठित स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी की एक बैठक संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार और जिला शिक्षा अधिकारी के एक मनोनीत व्यक्ति की उपस्थिति में बुलाएगा। प्रस्तावित कार्यसूची के साथ बैठक की सूचना काफी पहले प्रसारित की जाएगी।

69. यदि स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प लेती है कि प्रश्नगत स्कूल को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रूपांतरित किया जाए, तो ही, प्रश्नगत स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रूपांतरित करने के राज्य के निर्णय को प्रभावी किया जाएगा। अन्यथा, स्कूल को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रूपांतरित नहीं किया जाएगा।

70. रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है।

71. स्थगन आवेदन और अन्य सभी अंतर्वर्ती आवेदन निस्तारित किए जाते हैं।

उपरोक्त संदर्भित मामले के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिस शर्त को विधि का बल प्राप्त नहीं है, उसे अचानक लागू नहीं किया जा सकता है तथा हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) और 21 ए के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। यहां, हस्तगत वर्तमान मामले में, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के चयन हेतु स्नातक में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य करने की शर्त जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवेचित किया गया है, विधि का कोई बल नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार करना उचित समझता है।

राय:

18. वर्तमान मामले में, मुद्दा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों द्वारा लगाई गई उस आवश्यकता से संबंधित है, जिसमें शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम में अपना स्नातक पूरा करने को अनिवार्य किया गया है। मेरे सुविचारित राय में, यह शर्त मनमानी, तर्कहीन और उन हजारों व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिन्होंने हिंदी माध्यम में अपना स्नातक पूरा करने के बावजूद, अंग्रेजी को अपने विषयों में से एक के रूप में पढ़ा है। ऐसा प्रतिबंध रोजगार के लिए एक अनावश्यक और भेदभावपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, जो मेधावी उम्मीदवारों को केवल उनके शिक्षा के माध्यम के आधार पर समान अवसरों से वंचित करता है। साथ ही, एक ऐसी शर्त को लागू करना जो नियमित भर्ती में मौजूद नहीं है, लेकिन संविदात्मक भर्ती नियमों में लगाई गई है, कानून की नजर में गैर-बाध्यकारी और अप्रवर्तनीय प्रतीत होती है। ऐसी शर्त लगाने से अन्यथा पात्र व्यक्तियों को उनके उचित अवसर से वंचित होना पड़ेगा और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

19. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि शिक्षा (समूह-1) विभाग के सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अतिरिक्त, कानून, नियम, या विनियमन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अंग्रेजी माध्यम में स्नातक पूरा करने की अनिवार्य शर्त लगाता है। यह शर्त मनमानी, तर्कहीन और कानून के विपरीत है, क्योंकि पात्र आवेदकों को विज्ञापित पद के लिए अर्हता प्राप्त करने से रोकने के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं लगाई जा सकती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने 1966 के नियमों के तहत प्रदान किए गए मानदंडों को पूरा किया है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी को विषयों में से एक के रूप में लेकर अपना डिप्लोमा या स्नातकोत्तर पूरा किया है। इसलिए, जब वे पद के लिए पूरी तरह से पात्र हैं तो उन्हें विज्ञापित पद को सुरक्षित करने के अवसर से वंचित करना अन्यायपूर्ण, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण होगा।

निर्णय:

20. तदनुसार, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिकाएं निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है:

(a) सहायक शिक्षक लेवल I और II (अंग्रेजी) के पद पर याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता पर विचार किया जाएगा। विज्ञापन दिनांक 15.01.2023 के खंड 10.2 और आदेश दिनांक 02.11.2022 के खंड 3(1) में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की निर्दिष्ट शर्त को रद्द किया जाता है।

(b) जिन उम्मीदवारों/आवेदकों की अभ्यर्थिता अधिसूचना दिनांक 02.11.2022 और विज्ञापन दिनांक 15.01.2023 में लगाई गई शर्त के कारण अस्वीकार कर दी गई है, वे भी विभाग द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे।

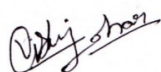
(c) जिन शिक्षकों की भर्ती अब तक पहले ही की जा चुकी है, वे प्रभावित/बाधित नहीं होंगे क्योंकि सहायक शिक्षक लेवल I और II (अंग्रेजी) की भर्ती में केवल 'अंग्रेजी माध्यम' की अनिवार्यता वाली शर्त को ही रद्द किया गया है।

21. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

22. सभी स्थगन याचिकाएं और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तदनुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(फरजंद अली), जे

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़